मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 26, 1946)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. उल्लेख.

मध्यप्रदेश विधान सभा की गौरवपूर्ण यात्रा के 68 वर्ष

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री,** द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्लपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,
पटल पर रखेंगे.

(2) **श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) एवं दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022) पटल पर रखेंगी.

(3) **श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री,** मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024,

(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024,

(ङ) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024, तथा

(च) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024
पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन्, 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(ख) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, तथा

(ग) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी,** मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन्, 1994) की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के वार्षिक लेखे वर्ष क्रमशः 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,** प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 6048-2018-दो-सी-एक्स, दिनांक 07 अगस्त 2024, तथा

(ii) क्रमांक एफ-1-172-2021-दो-सी-एक्स., दिनांक 07 अगस्त 2024

पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन** -

(क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला पन्ना एवं नीमच के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन्, 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य,** बुरहानपुर स्थित पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में अनियमितता किये जाने की ओर आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य,** प्रदेश के वेयर हाऊस के देयकों का भुगतान न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 210-राऊ से निर्वाचित सदस्य, श्री महादेव वर्मा (मधु वर्मा) को विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति,** याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित प्रथम, द्वितीय एवं कार्यान्वयन से संबंधित प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा अभ्यावेदनों से संबंधित इकतीसवां एवं बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) **श्री अजय विश्नोई, सभापति,** प्राक्कलन समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति,** प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति,** कृषि विकास समिति का प्रथम एवं तृतीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य,** शाजापुर जिले के ग्राम अरनियाकलॉं से कनाडिया मार्ग स्थित कांचमिरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(2) **इंजी. हरिबाबू राय, सदस्य,** अशोकनगर जिले की सिंध नदी पर स्टॉप डेम सहित ऊंचा रपटा का निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य,** निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर अंतर्गत ग्राम टोडी से भेलसी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम सलेतरा से दलपतपुर तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य,** शिवपुरी जिले के ए.बी. रोड पतारा, बिलूखी से रामपुर तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,

(6) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले की ग्राम पंचायत भिकन्या खेड़ी से कुवाड एवं खेड़ापुरा से अवासीयापुरा (अवाल्यापुरा) तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ की नगर पालिका द्वारा जल कर की अधिक वसूली किये जाने,

(8) **श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य,** झाबुआ जिले के शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय मांडली में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र की स्थापना कराये जाने,

(9) **श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्र. 83 राजहर्ष कालोनी में सड़क का निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री महेन्द्र नागेश, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव अंतर्गत झांसीघाट से दादा महाराज डोकरघाट तक सड़क का मरम्मतीकरण (सुधार) कराये जाने,

(11) **डॉ. चिंतामणि मालवीय, सदस्य,** रतलाम जिले के आलोट शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने,

(12) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य,** पन्ना जिले के ग्राम केवटपुरवा से मुख्य मार्ग कटर्रा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री विपीन जैन, सदस्य,** मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक-37 में जमीदार कालोनी में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(14) **श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य,** भोपाल शहर के पुराने भोपाल क्षेत्र में फ्लाई ओव्हर ब्रिज का निर्माण कराये जाने,

(15) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर जिले के हीरा भूमिमां मंदिर के पास की शासकीय भूमि पर हाकर्स जोन का निर्माण कराये जाने,

(16) **श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य,** मुरैना जिले की ग्राम पंचायत जलालपुर अंतर्गत सोन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य,** सिवनी नगर के मिरान स्कूल बरघाट रोड से रेल्वे क्रासिंग तक मार्ग चौड़ीकरण कराये जाने,

(18) **श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य,** अलीराजपुर जिले के ग्राम विनत पानगुडा वि.ख. कट्ठीवाडा में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(19) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य,** मैहर जिले की ग्राम पंचायत बदेरा में बरही मुख्य मार्ग से बहेरा के मध्य हनुमान घाट में स्लैव निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री बाला बच्चन, सदस्य,** बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत सेमल्दा के ठीकरी अंतर्गत सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री मथुरालाल डामर, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम धामनौद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने,

(22) **श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य,** कटनी जिले की तहसील मुख्यालय स्लीमनाबाद में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना कराये जाने,

(23) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के सुनवानी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों को तहसील में परिवर्तित कराये जाने,

(24) **श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य,** अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत बकही में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(25) **श्री कामाख्या प्रताप सिंह, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम पपटुआ में चैक डेम निर्माण कराये जाने,

(26) **श्री श्याम बरडे, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्रामों को माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना निवाली से जोड़े जाने,

(27) **श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य,** उज्जैन जिले के ग्राम डेलाखेड़ी से खेड़ा कासौन रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(28) **श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य,** बालाघाट जिले के कोहकाडीबर से पिण्डरई तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(29) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य,** नीमच जिले के ग्राम चल्दू में हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन करने,

(30) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य,** भिण्ड जिले के ग्राम हुलापुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(31) **श्री नारायण सिंह 'पट्टा', सदस्य,** मण्डला जिले की तहसील मुख्यालय घुघरी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना कराये जाने,

(32) **श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य,** दतिया जिले के सेंवढ़ा गोविन्द महाविद्यालय हेतु नवीन भवन स्वीकृत करने,

(33) **श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य,** पन्ना जिले के ग्राम मडैयन में नल-जल योजना प्रारंभ कराये जाने,

(34) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रूपारेल एवं अन्य ग्रामों के विद्यालयों में भवन निर्माण कराये जाने,

(35) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य,** सागर जिले के लक्ष्मीपुरा वार्ड में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने,

(36) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम जिले के जावरा अंतर्गत ग्राम कांकरवा से मेहंदी तक एवं अन्य ग्रामों में सड़क का निर्माण कराये जाने,

(37) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य,** खरगोन जिले के भीकनगांव अंतर्गत अंजनगांव ग्रीड के ग्रामों में विद्युत केबल उपलब्ध कराये जाने,

(38) **श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम चाचरियापारी से कोटकिराडी-पांजरिया होते हुए बिरला बाबा गाता तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(39) **श्री राजन मण्डलोई, सदस्य,** बड़वानी जिला मुख्यालय के समीप नर्मदा नदी पर डूबे घाट के स्थान पर नवीन घाट का निर्माण कराये जाने,

(40) **श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य,** रतलाम जिले के सैलाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लुणी में शिक्षा हेतु छात्रावास निर्माण कराये जाने,

(41) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य,** विदिशा जिले के नगर सिरोंज में संस्कृत विद्यालय को भवन एवं स्टाफ उपलब्ध कराये जाने,

(42) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य,** सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम पंचायत चाचरसी से बामनखेड़ी पार्वती नदी पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराये जाने,

(43) **श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर** जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम करियावटी से चक शीतलपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(44) **सुश्री रामश्री राजपूत, सदस्य, छतरपुर** जिले के महाराजगंज शास. हाई. स्कूल को पी.एम. श्री योजना में शामिल किये जाने,

(45) **श्री अनिल जैन, सदस्य,** निवाड़ी जिला मुख्यालय पर एक सर्वसुविधायुक्त बस स्टैण्ड निर्माण कराये जाने,

(46) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले के ग्राम हरदुआ काली दाई से नादाझर तक रोड निर्माण कराये जाने,

(47) **श्री गौरव सिंह पारधी, सदस्य,** बालाघाट जिले के ग्राम खैरी से टेमनी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण कराये जाने,

(48) **कुँवर अभिजीत शाह, सदस्य,** हरदा जिले के टिमरनी अंतर्गत ग्राम चुरनी से बड़झिरी एवं चुरनी से बोरपानी, बिटिया होते हुए मार्ग निर्माण कराये जाने,

(49) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य,** धार जिले के ग्राम अराड़ा-नलवान्या तक पहुँच मार्ग निर्माण कराये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

8. वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन,** मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) **श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री,** मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास और धर्मस्व,** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मां शारदा
15 मि. देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री,** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन
15 मि. विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2024